



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

भारिबैं / 2012 -13 / 89

ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी. सं. 2 /09.10.01/2012 -13

2 जुलाई 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक

सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय,

**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के बारे में समय-समय पर अनुदेश / दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस उद्देश्य से कि बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं, मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र को अद्यतन किया गया है तथा इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी पिछले अनुदेशों को, जो अनुबंध IV में सूचीबद्ध हैं, समेकित किया गया है।

2. कृपया प्राप्ति - सूचना दें।

भवदीय

( सी. डी. श्रीनिवासन )

मुख्य महाप्रबंधक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400 001,

टेलिफोन /Tel No: 91-22-22661000 फैक्स/Fax No: 91-22-22621011/22610948/22610943 ई-मेल/ Email ID:cgmicrped@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Department, Central Office, 10<sup>th</sup> Floor, C.O. Building, Post Box No.10014 Mumbai -400 001

**हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये**

## विषय -सूची

क्रम सं.	ब्योरा
अनुबंध - I	समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारूप
अनुबंध -II	अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों की सूची
अनुबंध - III	पहचाने गए जिलों में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारूप
अनुबंध - IV	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्र की सूची

**मास्टर परिपत्र**  
**प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार**  
**विशेष कार्यक्रम**

**1. अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं**

भारत सरकार ने इस बारे में सावधानी बरतने का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों द्वारा मिलने वाले लाभ सही और पर्याप्त मात्रा में प्रदान किये जाते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होता है।

**2. अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा**

2.1 निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है :

- (क) सिख
- (ख) मुस्लिम
- (ग) इसाई
- (घ) झोरास्ट्रियन
- (ङ) बुद्धिस्ट

**3. विशेष कक्ष की स्थापना और पूर्णतया उसके लिए नामित अधिकारी**

3.1 प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण आसानी से उपलब्ध होता रहे और इस कक्ष का मुख्य अधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या कोई अन्य समश्रेणी का होगा, जो 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करेगा।

3.2 प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल जिले के अग्रणी बैंक में एक अधिकारी होगा जो पूर्णतया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित समस्याओं की ही जांच करेगा। बैंक ऋण के विविध कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच करना और उनके लाभ हेतु शाखा प्रबंधकों के सहयोग से उपयुक्त योजनाएं बनाना उसका उत्तरदायित्व होगा।

- 3.3 भारत सरकार ने उन राज्यों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में है (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ) उन 121 अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की सूची भेजी है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 16 जुलाई 2007 के परिपत्र ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/2007-08 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे उन 103 जिलों जिनकी निगरानी अब तक की जा रही थी के बजाए इन 121 जिलों के अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धता की विशेष रूप से निगरानी करें और उसके द्वारा यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण लक्ष्य के अंदर ऋण का उचित और बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है ( अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की अद्यतन सूची अनुबंध II में दी गई है )।
- 3.4 नामित अधिकारी संबंधित जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की ऋण सहायता से संबंधित पहलुओं पर ही ध्यान देगा और वह जिले स्तर पर स्थापित अग्रणी बैंक से संबद्ध होगा। इस प्रकार, वह अग्रणी बैंक अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। अग्रणी बैंक अधिकारी काफी वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा जिसे अन्य क्रेडिट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने का पर्याप्त अनुभव होगा। वह जिले के अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के घनिष्ठ सहयोग के साथ काम भी करता रहा होगा। नामित अधिकारी अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने में उनके मार्गदर्शन के लिए बैठकें आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगा। संबंधित बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नामित अधिकारी को सौंपी गई भूमिका कारगर रूप से सफल होती है ।
- 3.5 जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाते हैं और इस संबंध में की गयी प्रगति की उनकी बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।
- 3.6 जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकें/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक बैंक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को या उनके प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी), राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठक (एसएलआरएम) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं ।
- 3.7 (i) मुख्य कार्यालय के विशेष कक्ष के प्रभारी अधिकारी और ii) चयनित जिलों में केवल अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते अल्पसंख्यकों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को बैंकों द्वारा निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किये जाएं और आवधिक रूप से अद्यतन किये जाएं :

सचिव  
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  
भारत सरकार  
लोक नायक भवन  
5वीं मंज़िल, खान मार्केट  
नई दिल्ली 110003

संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपि ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को भी प्रस्तुत की जाए।

3.8 अल्पसंख्यक समुदाय सकेन्द्रित वाले चयनित जिलों में अग्रणी बैंक जागरूकता उत्पन्न करने, हिताधिकारियों की पहचान करने, अर्थक्षम योजनाएँ तैयार करने, विपणन और विनिर्माण सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा निविष्टियों की आपूर्ति/विपणन वसूली आदि सहित अतिरिक्त कार्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग/वित्त निगम को सम्मिलित कर सकते हैं।

3.9 अग्रणी बैंक चयनित जिलों में नाबाई के जिला विकास प्रबंधकों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेकर सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच सकते हैं। अल्पसंख्यक जाति बहुल जिलों के अग्रणी बैंकों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक जातियों की, विशेष रूप से उनकी, जो गरीब और अशिक्षित हैं, उत्पादक कार्यकलाप करने के लिए बैंक ऋणों तक पहुँच हो, उनसे प्रत्याशित सायास भूमिका अदा करनी होगी।

#### **4 विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिम**

अजा / अजजा विकास निगमों को जिन शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, बैंक उन्हीं शर्तों पर विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक वित्त / विकास निगम को ऋण प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निगमों के हिताधिकारी पात्रता संबंधी मानदंडों तथा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

#### **5. निगरानी**

5.1 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सहायता के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के अन्तिम शुक्रवार को छमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए। विवरण (अनुबंध I में दिया गया) प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुँच जाना चाहिए।

- 5.2 भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश विशिष्ट समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिम को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए तथा उसे तदनुसार निर्धारित विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि किसी कम्पनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तित्व है, तो उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- 5.3 चयनित जिलों में जिला परामर्शदात्री समितियों के आयोजक बैंकों को संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अग्रणी उत्तरदायित्व के अन्तर्गत जिले के लिए निर्धारित फॉर्मेट में (अनुबंध III में) उनके द्वारा संकलित बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकृत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आँकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। पहचाने गए जिलों के नाम तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों जिनको अग्रणी बैंक द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना है, की सूची अनुबंध II में संलग्न है।
- 5.4 अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) में होनी चाहिए।
- 5.5 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की कार्यसूची का सार और बैठकों का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को उनके प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

## 6. प्रशिक्षण

- 6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक स्टाफ और अन्य अधिकारी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को उचित प्रकार से समझते हैं, पदाधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, ग्रामीण उधार पर कार्यक्रम, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित सत्रों को सम्मिलित करना चाहिए।
- 6.2 चयनित जिलों में कार्यरत अग्रणी बैंकों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। इन जिलों की जनता के बड़े

भाग द्वारा किए जा रहे बड़े व्यवसाय अथवा गतिविधि के आधार पर राज्य सरकारों, उद्योग विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग विकास बैंक, राज्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य संगठनों, जो ऐसे प्रशिक्षण और ओरियंटेशन देने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम की विषयवस्तु और संकाय सदस्यों का चयन इत्यादि से संबंधित निर्णय प्रत्येक अग्रणी बैंक द्वारा जिले में जनता की तात्कालिक स्थितियों, वर्तमान कौशल और आवश्यकता के साथ-साथ योग्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

- 6.3 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों द्वारा इन जिलों में पदापित स्टाफ को विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबोधित और प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 6.4 अग्रणी बैंक नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों को व्यक्ति ऋण/उधार देने के संबंध में बैंक के पदाधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करें।

## 7. प्रचार

- 7.1 सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों तथा विशेष रूप से अनुबंध II में सूचीबद्ध जिलों में होना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी मात्रा में हैं।
- 7.2 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के उचित उपायों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए; यथा i) प्रिंट मीडिया अर्थात् स्थानीय भाषाओं में पेंप्लेटों का वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन/लेख इत्यादि ii) टी.वी.चैनल - दूरदर्शन/स्थानीय चैनल iii) इन समुदायों द्वारा धार्मिक/त्यौहारों के अवसरों पर आयोजित मेलों में सहभागी होना/स्टॉल लगाना।

## 8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

- 8.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के विकास हेतु सितम्बर 1994 में की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एक शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है तथा संबंधित राज्य/संघ शासित

सरकारों के राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से हिताधिकारियों को राशि उपलब्ध कराता है।

- 8.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ-साथ मार्जिन मनी योजना जो परियोजना लागत के 60% तक बैंक वित्त से जुड़ी हुई है, परिचालित है। परियोजना लागत की शेष राशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी और हिताधिकारी द्वारा क्रमशः 25%, 10%, और 5% के अनुपात में वहन की जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आरंभ की गई मार्जिन मनी योजना का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा किया जाएगा। बैंक वित्त प्रदान करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण की राशि से सृजित आस्तियाँ बैंक के पास बंधक/गिरवी रखी जाएंगी। बैंकों द्वारा की गई वसूली में से पहले बैंक को देय राशि की वसूली की जाएगी।

### **9. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम**

भारत सरकार ने अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए "प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम" को संशोधित किया है। उक्त कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का यथोचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को देने का लक्ष्य रखा जाए और यह भी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न लाभ, सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंचते हैं जिनमें अल्प संख्यक समुदायों के सुविधाहीन वर्ग भी शामिल हों। यह नया कार्यक्रम केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है और यह अल्प संख्यक सकेन्द्रित जिलों में विकास परियोजनाओं के विशिष्ट अनुपात की स्थिति दर्शाता है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 1 सितंबर 2006 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.22/09.10.01/2006-07 द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समस्त लक्ष्यों और कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य के अंदर अल्प संख्यक समुदायों को भी ऋण का उचित हिस्सा प्राप्त होता है। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जिला ऋण योजना तैयार करते समय इस आवश्यकता को ध्यान में रखें।





















**अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची**  
( पैराग्राफ 3.2, 5.3 और 7.1 के अनुसार )

**अनुबंध II**

**29 राज्यों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची (उन छः राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं)**

Sl. No.	राज्य	क्र. संख्या	जिला	कुल आबादी	मुस्लिम आबादी	कुल आबादी में मुस्लिम का %	ईसाई आबादी	कुल आबादी में ईसाई का %	सिख आबादी	कुल आबादी में सिख का %	बुद्धिस्ट आबादी	कुल आबादी में बुद्धिस्ट का %	कुल अल्पसंख्यक आबादी	अल्पसंख्यकों की आबादी का %
I	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	X	xi	xii	xiii	xiv	xv
1	अंदमान (2)	1	निकोबार	42068	2131	5	28145	67	508	1	40	0	30,824	73
	अंदमान	2	अंदमान	314084	27134	9	49033	16	1079	0	381	0	77627	25
2	आंध्र प्रदेश (1)	3	हैदराबाद	3829753	1576583	41	92915	2	10951	0	832	0	1681281	44
3	अरुणाचल प्रदेश (7)	4	तवांग	38924	225	1	308	1	420	1	29083	75	30036	77
	अरुणाचल प्रदेश	7	चंगलांग	125422	1163	1	21931	17	47	0	42744	34	65885	53
	अरुणाचल प्रदेश	6	तिराप	100326	756	1	50199	50	99	0	675	1	51729	52
	अरुणाचल प्रदेश	7	वेस्ट कामेंग	74599	1159	2	2462	3	426	1	33104	44	37151	50
	अरुणाचल प्रदेश	8	पापुम परे*	122003	5318	4	36574	30	263	0	3330	3	45485	37
	अरुणाचल प्रदेश	9	इस्ट कामेंग	57179	384	1	14550	25	46	0	705	1	15685	27
	अरुणाचल प्रदेश	10	लोअर सुबनसिरी	98244	830	1	24078	25	52	0	284	0	25244	26
4	असम (13)	11	धुब्ररी	1637344	1216455	74	12477	1	159	0	292	0	1229383	75
	असम	12	गोआल पाडा	822035	441516	54	64662	8	108	0	178	0	506464	62
	असम	13	बरपेटा	1647201	977943	59	5267	0	258	0	194	0	983662	60
	असम	14	हैलाकांडी	542872	312849	58	5424	1	9	0	589	0	318871	59
	असम	15	करीमगंज	1007976	527214	52	8746	1	128	0	346	0	536434	53
	असम	16	नगांव	2314629	1180267	51	21473	1	3055	0	1058	0	1205853	52
	असम	17	मरीगांव	776256	369398	48	759	0	69	0	84	0	370310	48
	असम	18	दरंग	1504320	534658	36	97306	6	520	0	1871	0	634355	42
	असम	19	बोंगईगांव	904835	348573	39	18728	2	512	0	330	0	368143	41
	असम	20	कचार	1444921	522051	36	31306	2	628	0	742	0	554727	38
	असम	21	कोक्राझार	905764	184441	20	124270	14	133	0	1574	0	310418	34
	असम	22	नॉर्थ कचार	188079	4662	2	50183	27	220	0	857	0	55922	30



	महाराष्ट्र	59	अमरावती	2607160	347250	13	7315	0	2940	0	350403	13	707908	27
	महाराष्ट्र	60	बुलढाणा	2232480	285387	13	2545	0	1501	0	306503	14	595936	27
	महाराष्ट्र	61	परभणी	1527715	243935	16	1368	0	789	0	153231	10	399323	26
	महाराष्ट्र	62	वाशिम*	1020216	111863	11	1211	0	500	0	150580	15	264154	26
	महाराष्ट्र	63	हिंगोली*	987160	103199	10	468	0	474	0	147927	15	252068	26
15	मणिपुर (6)	64	तमेंगलेंग	111499	1431	1	105791	95	67	0	7	0	107296	96
	मणिपुर	65	उखरुल	140778	881	1	133966	95	96	0	84	0	135027	96
	मणिपुर	66	चुराचंदपुर	227905	2573	1	213186	94	125	0	47	0	215931	95
	मणिपुर	67	चंदेल	118327	2318	2	109128	92	125	0	60	0	111631	94
	मणिपुर	68	सेनापति (3 सब डिविजन छोड़कर)	156513	637	0	122724	78	154	0	1281	1	124796	80
	मणिपुर	69	थोऊबल	364140	86849	24	5136	1	102	0	54	0	92141	25
16	उडिसा (1)	70	गजपति*	518837	1623	0	173663	33	2	0	1972	0	177260	34
17	पांडिचेरी (1)	71	माहे	36828	11411	31	816	2	0	0	1	0	12228	33
18	राजस्थान (1)	72	गंगानगर	1789423	42442	2	1661	0	441409	25	971	0	486483	27
19	सिक्किम (4)	73	नोंथ	41030	391	1	1623	4	146	0	22603	55	24763	60
	सिक्किम	74	साऊथ	131525	1700	1	12757	10	57	0	31109	24	45623	35

	सिक्किम	75	ईस्ट	245040	4789	2	14502	6	958	0	64729	26	84978	35
	सिक्किम	76	वेस्ट	123256	813	1	7233	6	15	0	33601	27	41662	34
20	तमिलनाडु (1)	77	कन्याकुमा री	1676034	70360	4	745406	44	31	0	26	0	815823	49
21	उत्तर प्रदेश(15)	78	रामपुर	1923739	945277	49	7297	0	61717	3	2227	0	1016518	53
	उत्तर प्रदेश	79	मुरादाबाद	3810983	1735381	46	8832	0	8610	0	2436	0	1755259	46
	उत्तर प्रदेश	80	बिजनौर	3131619	1306329	42	3411	0	48725	2	3376	0	1361841	43
	उत्तर प्रदेश	81	सहारनपुर	2896863	1132919	39	5039	0	20693	1	3645	0	1162296	40
	उत्तर प्रदेश	82	ज्योतिबा फुले नगर*	1499068	590308	39	4206	0	5578	0	248	0	600340	40
	उत्तर प्रदेश	83	मुजफ्फर नगर	3543362	1349629	38	3303	0	18998	1	2356	0	1374286	39
	उत्तर प्रदेश	84	बलरामपुर*	1682350	617675	37	1285	0	1334	0	2950	0	623244	37
	उत्तर प्रदेश	85	बहराइच	2381072	829361	35	2196	0	7623	0	3296	0	842476	35
	उत्तर प्रदेश	86	बरेली	3618589	1226386	34	9269	0	28971	1	7333	0	1271959	35
	उत्तर प्रदेश	87	मेरठ	2997361	975715	33	7420	0	26434	1	2769	0	1012338	34
	उत्तर प्रदेश	88	सिद्धार्थ नगर	2040085	600336	29	1280	0	1280	0	7930	0	610826	30
	उत्तर प्रदेश	89	पीलीभीत	1645183	390773	24	1787	0	75479	5	1828	0	469867	29
	उत्तर प्रदेश	90	श्रावस्ति*	1176391	301117	26	642	0	828	0	596	0	303183	26
	उत्तर प्रदेश	91	बागपत	1163991	287871	25	1096	0	1032	0	322	0	290321	25
	उत्तर प्रदेश	92	गाजियाबाद	3290586	782915	24	8809	0	21017	1	3298	0	816039	25

22	उत्तरांचल (2)	93	हरिद्वार	1447187	478274	33	3048	0	17326	1	674	0	499322	35
	उत्तरांचल	94	उधमसिंह नगर*	1235614	254407	21	3880	0	141462	11	1439	0	401188	32
23	पश्चिम बंगाल (9)	95	मुरशिदाबा द	5866569	3735380	64	13723	0	402	0	244	0	3749749	64
	पश्चिम बंगाल	96	मालदहा	3290468	1636171	50	8388	0	283	0	164	0	1645006	50
	पश्चिम बंगाल	97	उत्तर दिजानपुर	2441794	1156503	47	13172	1	252	0	335	0	1170262	48
	पश्चिम बंगाल	98	बिरभुम	3015422	1057861	35	7382	0	347	0	222	0	1065812	35
	पश्चिम बंगाल	99	साऊथ 24 परगना	6906689	2295967	33	52835	1	1680	0	1799	0	2352281	34
	पश्चिम बंगाल	100	नादिया	4604827	1170282	25	29563	1	699	0	635	0	1201179	26
	पश्चिम बंगाल	101	दक्षिण दिजानपुर*	1503178	361047	24	22039	1	215	0	175	0	383476	26
	पश्चिम बंगाल	102	हावडा	4273099	1044383	24	6284	0	3779	0	1085	0	1055531	25
	पश्चिम बंगाल	103	नॉर्थ 24 परगना	8934286	2164058	24	20138	0	10679	0	5839	0	2200714	25

अल्पसंख्यक सकेन्द्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	चुने गए जिले
1.	जम्मू और कश्मीर	1.	लेह (लडाख)
2.	मेघालय	2.	वेस्ट गारो टिल्स
3.	मिज़ोरम	3.	लांगत्लाई
	मिज़ोरम	4.	मामिट
4.	बिहार	5.	सीमाबढी
	बिहार	6.	दरभंगा
	बिहार	7.	पश्चिम चंपारन
5.	झारखंड	8.	रांची
6.	कर्नाटक	9.	गुलबर्गा
7.	उत्तर प्रदेश	10.	बुलंदशहर
	उत्तर प्रदेश	11.	शाहजहांपुर
	उत्तर प्रदेश	12.	बदायूं
	उत्तर प्रदेश	13.	बराबंगी
	उत्तर प्रदेश	14.	खेरी
	उत्तर प्रदेश	15.	लखन
8.	पश्चिम बंगाल	16.	कूच बिहार
	पश्चिम बंगाल	17.	कोलकाता
	पश्चिम बंगाल	18.	बर्धमान

अनुबंध III

-----को समाप्त तिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (चुने गए जिलों में) की तुलना में विनिर्दिष्ट अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम दर्शानेवाला विवरण (पैराग्राफ 5.3 के अनुसार)

जिले का नाम -----

( करोड़ रु. में )

समुदाय का नाम	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	पिछली तिमाही	चालू तिमाही	पिछली तिमाही	चालू तिमाही
<b>क. अल्पसंख्यक समुदाय</b>				
1. इसाई				
2. मुस्लिम				
3. बुद्धिस्ट				
4. सिख				
5. झोरास्ट्रियन				
कुल (1 से 5)				
<b>ख. अन्य</b>				
<b>ग. पहचाने गये जिलों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (क+ख)</b>				
<b>घ. (ग) की तुलना में (क) का हिस्सा प्रतिशत में</b>				

नोट : (1) वास्तविक खातों की संख्या  
(2) करोड़ रु. में बकाया राशि

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/पीएस. 160-86/87	24.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
2.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.97/पीएस. 160-86/87	29.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
3.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1378/पीएस. 160-86/87	9.01.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
4.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1563/पीएस. 160-86/87	11.02.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
5.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.75/पीएस.160-86/87	08.04.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
6.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.14/पीएस.160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
7.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.374/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
8.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.45/पीएस.160-87/88	16.10.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
9.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.55/पीएस.160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
10.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.56/पीएस.160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
11.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.649/पीएस. 160-88/89	27.09.88	प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 15 सूत्री निवेश
12.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.46/पीएस.160-88/89	17.11.88	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
13.	ग्राआऋवि.सं.स्टैट.बीसी.66/स्टैट.20 (सीबी)/88-89	21.01.89	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ

14.	ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.121/एलबी सी.34/88-89	07.06.89	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों में अजा/अजजा निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
15.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.37/सी. 453(यू)89-90	03.10.89	विभेदक ब्याज दर योजना - राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय/विकास निगमों के माध्यम से अग्रिम देना
16.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.124/ पीएस. 160-89/90	26.06.90	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
17.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.80/पीएस.160-92/93	10.03.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण
18.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1934/पीएस. 160-92À93	22.06.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
19.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.17/पीएस.160-93/94	10.8.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - कर्मचारियों को प्रशिक्षण
20.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.32/पीएस.160-93/94	6.9.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
21.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.50/पीएस.160-93/94	13.10.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
22.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.83/पीएस.160-93/94	07.01.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि - तिमाही विवरण
23.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.166/ पीएस.160-93/94	15.06.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - 41 चयनित जिले
24.	एलबीएस.बीसी.29/02.03.01-94/95	31.08.94	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य स्तरीय बैंकर समिति में राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
25.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.79/ 09.10.01/ 94-95	09.12.94	विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों की सूची -बुद्धिस्ट के स्थान पर-नव बुद्धिस्टों को शामिल करना
26.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.33/ 09.10.01/ 96-97	07.09.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण



27.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.43/ 09.10.01/ 96-97	10.10.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि अनुदेशों का सार-संकलन
28.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.108/09.12.01/ 96-97	28.02.97	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एमएमडीएफसी)
29.	<a href="#">ग्राआऋवि.सं.एसपी.13/09.10.01/2001- 02</a>	13.08.01	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - मूल्यांकन अध्ययन
30.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1074/ 09.10.01/ 2001-02	21.01.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
31.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.62/ 09.10.01/ 2001-02	04.02.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
32.	<a href="#">ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.22/ 09.10.01/ 2006-07</a>	01.09.2006	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम
33.	<a href="#">ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.83/ 09.10.01/ 2006-07</a>	27.04.07	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों(जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम,नागालैंड और लक्षद्वीप)को छोड़कर जहां अल्प संख्यक मेजोरिटी में हैं, उन 103 अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों की सूची जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है।
34.	<a href="#">ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/ 2007-08</a>	16.07.07	अल्पसंख्यक सकेन्द्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है